तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

देवकिशन पिता छगु भाण्ड
मृतक वारसि श्रीमती गणेशी बेवा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा
देवकिशन भाण्ड वगैरा

प्रकरण संख्या 106/2009
अन्तर्गतधारा –212 आर0टी0एक्ट

29.06.20 प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री राजमल तिवाड़ी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली सिगेह से तलब करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर पेरोकार सरकार को सूचित कराया गया प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया मिसल आज दिनांक 29.06.2020 को सिगेह से तलब की गई। उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को प्रमाणित किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण न्यायालय आप में जैर कार्यवाही उनवान गणेशी वगै0 बनाम तहसीलदार प्रकरण संख्या 106/2009 अन्तर्गतधारा 212 आर0टी0एक्ट के पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। एवं हम प्रार्थीगण उक्त उनवान के प्रकरण को विड्रोल करना चाहते है। अतः उक्त प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

मैंने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनाम प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं तस्दीक किये गये। चूंकि मूलवाद खारिज किया जा चुका है। तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर पक्षकारानों के मध्य आपसी समझौता हो गया है आपस में कोई विवाद नहीं हाने साथ ही उक्त उनवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो जाने / राजीनामा हो जाने से कोई आपत्ति नहीं होने से, कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवान के प्रकरण को विड्रोल कर खारिज हेतु निवेदन किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से इसी स्तर पर प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है।

प्रकरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(आपदाय अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner